प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 04.01.2025

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद ।

दिनांक 01.01.2025 को थाना मोदीनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त हर्ष व अनुराग भाटी (उर्फ अन्नू) द्वारा हवाई फायरिंग करके मौके से भाग जाना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल धारा 125 BNS व 9/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात आज दिनांक 04.01.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित हर्ष पुत्र बालकिशन निवासी सेक्टर-29 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी थाना सेक्टर-31 फरीदाबाद हरियाणा हाल पता देव विहार कॉलोनी मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ । मुकदमा उपरोक्त में नियमानुसार धारा-3 आयुध अधिनियम की वृद्धि की गई । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने व मेरे मित्रों ने नववर्ष पर पार्टी की थी उसके बाद मैं अपने मित्र को उसके घर पर छोडने के लिये गया था जहां पर हमारी कुछ व्यक्तियों से कहासुनी हो गई थी जिसमें मैंने अपने पास रखे अवैध तमंचे से हवा में फायर कर दिया था तथा हम वहां से भाग गये थे ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

हर्ष पुत्र बालकिशन निवासी सेक्टर-29 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी थाना सेक्टर-31 फरीदाबाद हरियाणा हाल पता देव विहार कॉलोनी मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष ।

वांछित अभियुक्त -

अनुराग भाटी उर्फ अन्नू

पंजीकृत अभियोंग –

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा मोटर साइकिल चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरणः दिनांक 03.01.2025 को थाना टीलामोड़ पर वादी सुभाष चन्द पुत्र श्याम चन्द निवासी म0नं0 145/1 गांव भौपुरा बाल्मिकी मौहल्ला की लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी के घर के बाहर से वादी की मोटर साइकिल चोरी करने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया। जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए दिनांक 03.01.2025 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा पर चैकिंग के दौरान मैनुअल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर मोटर साइकिल चोरी करने वाले 02 अभियुक्त **1.** शोएब मलिक पुत्र जमाल मलिक उर्फ नन्हे निवासी ग्राम पावी सादकपुर के निकट गिरजाघर कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष व 2. मौ0 अशरफ पुत्र मौ0 महफूज निवासी ग्राम पावी सादकपुर के निकट गिरजाघर कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को भौपुरा दिल्ली अन्तर्राज्यीय बार्डर से चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त शोएब मलिक व मौ0 अशरफ उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में धारा 303(2),317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः गिरफ्तार अभियुक्त शोएब मलिक व मौ0 अशरफ उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि जो स्पलेण्डर मोटर साइकिल इन दोनों अभियुक्तों से बरामद हुई है। उसे अभियुक्त उपरोक्त द्वारा दिनांक 02.01.2025 को वादी के घर के बहार से चोरी कर लिया गया था। जिसे ये दोनों बेचने की फिराक में घूम रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता

1. शोएब मलिक पुत्र जमाल मलिक उर्फ नन्हे निवासी ग्राम पावी सादकपुर के निकट गिरजाघर कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।
2. मौ0 अशरफ पुत्र मौ0 महफूज निवासी ग्राम पावी सादकपुर के निकट गिरजाघर कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

बरादमगी का विवरण

- चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त शोएब मलिक व मौ0 अशरफ उपरोक्त के विरूद्ध थाना टीलामोड़ पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 पीली धातु की चैन बरामद।

कार्यवाही का विवरण: आज दिनांक 04.01.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर चोरी करने वाला 01 अभियुक्त फैजान पुत्र शेरु निवासी बिल्डिंग नम्बर 108 सीएनजी वाली गली बंगाली कॉलोनी विक्रम इंकलेव थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को जीजी फार्म हाऊस के पास थाना शालीमार गार्डन से चोरी की 01 पीली धातु की चैन सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त फैजान पुत्र शेरु उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त फैजान पुत्र शेरु उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त फैजान पुत्र शेरु उपरोक्त और उसके दोस्त रफीक जो कि नयी सीमापुरी में रहता है। दोनों ने मिलकर 5 से 6 दिन पहले अपनी बिल्डिंग के ही 01 किन्नर के घर से रात के समय में सोने व चाँदी के जेवरात, मोबाइल व पैसे चोरी किये थे। जिसके सम्बन्ध में थाना शालीमार गार्डन पर अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त उपरोक्त से जो 01 पीली धातु चैन बरामद हुई है, वो भी उसी घर से चोरी की थी। रफीक द्वारा यह चैन अभियुक्त उपरोक्त को बेचने के लिये दी गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

फैजान पुत्र शेरु निवासी बिल्डिंग नम्बर 108 सीएनजी वाली गली बंगाली कॉलोनी विक्रम इंकलेव थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- चोरी की 01 पीली धातु की चैन बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त फैजान पुत्र शेरु उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा ई-रिक्शा चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 ई-रिक्शा बरामद।

कार्यवाही का विवरण: आज दिनांक 04.01.2025 को थाना शालीमार गार्डन पर वादी सोनू सैन पुत्र रामप्रसाद द्वारा लिखित तहरीर दी गयी और बताया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा रात्रि के समय मेरा ई-रिक्शा चोरी कर लिया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना शालीमार गार्डन पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए आज दिनांक 04.01.2025 को ही थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर ई-रिक्शा चोरी करने वाले 01 अभियुक्त शिवम पुत्र ध्रुवपाल निवासी ग्राम भानपुर बिसौली जिला बदाँयू हाल निवासी कलन्दर कॉलोनी दिलशाद गार्डन दिल्ली उम्र 21 वर्ष को मन्दिर के पीछे तिराहे के पास शालीमार गार्डन एक्स-1 थाना शालीमार गार्डन से चोरी का 01 ई-रिक्शा सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त शिवम पुत्र ध्रुवपाल उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त शिवम पुत्र ध्रुवपाल उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि यह ई रिक्शा अभियुक्त शिवम पुत्र ध्रुवपाल उपरोक्त दिनांक 02.01.2025 की रात्रि में 10 न0 गेट शालीमार गार्डन एक्स-1 के अन्दर रोड़ किनारे से चोरी किया था। जिसे आज अभियुक्त उपरोक्त इस ई रिक्शा को बेचने के लिए जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

शिवम पुत्र ध्रुवपाल निवासी ग्राम भानपुर बिसौली जिला बदाँयू हाल निवासी कलन्दर कॉलोनी दिलशाद गार्डन दिल्ली उम्र 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- चोरी का 01 ई-रिक्शा बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त शिवम पुत्र ध्रुवपाल उपरोक्त थाना शालीमार गार्डन पर ई-रिक्शा चोरी करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।